नईदुनिया
इंदौर, गुरुवार 28 जुलाई 2016
www.naidunia.com

कहीं आप भी तो इन अपराधियों के शिकार नहीं हो रहे!

सायबर क्राइम क्या है और इसमें कौनसी चीजें शामिल हैं, यह एक लंबी बहस का मुद्दा है। हम इसका उदाहरण चोरी से ले सकते हैं। चोरी यानी, बिना इजाजत के किसी की कोई वस्तु ले लेना, लेकिन सायबर क्राइम की सही परिभाषा इतनी आसान नहीं है और उसे परिभाषित करना इस तरह के अपराध से जुड़े विशेषज्ञों के लिए भी एक चुनौती है, हालांकि भारत के आईटी एक्ट- 2000 में इसे लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक सायबर अपराध वह है जो कम्प्यूटर के जरिए किया गया हो। इसका मतलब है कम्प्यूटर को हथियार बनाकर या कम्प्यूटर को लक्ष्य बनाकर किया गया अपराध सायबर क्राइम की श्रेणी में आता है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में अपडेट होती टेक्नोलॉजी और इसके बढ़ते उपयोग के कारण इसमें बदलाव होना जरूरी हो गया था और यह हुआ भी। 2008 में आईटी एक्ट में कई परिवर्तन हुए और इसकी परिभाषा को विस्तार दिया गया। इसका मतलब था कोई भी अपराध जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किया गया हो, इसकी जद में आएगा।

वरुण कपूर
आईपीएस

तो कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या अंतर है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कमांड या संकेत पर काम करती है। जैसे, आपका पंखा जिसकी गति रेग्युलेटर से कम या ज्यादा की जा सकती है या एसी की ठंडक रिमोट से कम या ज्यादा की जा सकती है। यानि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रणाली समझना आसान है, इनपुट-प्रोसेस-आउटपुट।

कम्प्यूटर के पास प्रोसेसिंग के अलावा दूसरी काबिलियत भी होती है। इसकी तार्किक क्षमता, मेमोरी, स्टोरेज, गणनिक क्षमताएं भी होती है। इसलिए कम्प्यूटर एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसे में यह माना गया कि कम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अंग है। इसलिए 2000 में बने मूल आईटी एक्ट में सन् 2008 में कई बदलाव हुए। इस पूरे मसले को हम एक सटीक उदाहरण से समझ सकते हैं।

मामला भोपाल का है। व्हर्लपूल एप्लायंसेस का डीलर इस ब्रांड की वॉशिंग को बेचने के पहले इसमें छेड़छाड़ करता था ताकि

वो सर्विसिंग के नाम पर कस्टमर से पैसा बना सके। डीलर वॉशिंग मशीन में लगी माइक्रो चिप में मामूली फेंरबदल कर ऐसा करता था। मशीन की चिप उसे कमांड देने, कंट्रोल करने के लिए उसके सर्किट में लगी रहती है। डीलर नई मशीन को बेचने के पहले उसमें से चिप निकालकर उसे इस तरह प्रोग्राम करता था कि वॉशिंग मशीन सालभर की अपनी वारंटी पूरी करने के बाद अपने आप काम करना बंद कर दे। जब ग्राहक शोरूम पर इसकी शिकायत लेकर आता था तो डीलर साफ कह देता था कि मशीन वारंटी पीरियड में नहीं है और इसे सुधारने के लिए इसके सर्किट पर काम करना होगा और इसमें काफी पैसा लगेगा। इसी तरह से वो दूसरे उत्पादों के साथ भी करता था और ग्राहकों से मोटी रकम ऐंठता था। जो चिप 100 रुपए में ठीक हो सकती थी, उसके लिए डीलर ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर लंबा-चौड़ा बिल थमा देता था और पीड़ित के पास उसके झांसे में आने के सिवा कोई चारा नहीं था और वो उस भरोसा भी आसानी से इसलिए कर लेता था, क्योंकि डीलर को कंपनी ने नियुक्त किया है।

...और धोखाधड़ी पर हुई 3 साल की सजा

यह अपराध सायबर क्राइम की श्रेणी में आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से ग्राहक को लूटा गया और अनैतिक तरीके से पैसा बनाया गया। सामान्य नजर में यह आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी का मामला दिखाई देता है और कई मामलों में इसे अदालत में साबित करना मुश्किल होता है, खैर यहां बात सायबर क्राइम की हो रही है। आईटी एक्ट 2008 के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए धोखाधड़ी करने वाले इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस डीलर को 3 साल की सजा हुई।

(लेखक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर इंदौर में पदस्थ हैं और विचार उनके व्यक्तिगत हैं)
ईमेल: varunkapoor170@gmail.com